

डिकी एवं मुकदमे ईन्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 371/2023

- 1 जसवन्तराम पुत्र हरचन्द जाति नाई सा. नारायणगढ तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 2 राजेशवरी देवी पत्नी बलवन्तराम जाति नाई सा. नारायणगढ तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

- वादी

बनाम

- 1 सहीराम पुत्र मंगलाराम जाति नाई सा. नारायणगढ तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 2 वृजलाल पुत्र मंगलाराम जाति नाई सा. नारायणगढ तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 3 गुरमख पुत्र मंगलाराम जाति नाई सा. नारायणगढ तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 4 सुरजाराम पुत्र मंगलाराम जाति नाई सा. नारायणगढ तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 5 बनवारीलाल पुत्र मंगलाराम जाति नाई सा. नारायणगढ तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 6 चन्द कौर पुत्री ताजु जाति नाई सा. नारायणगढ तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 7 धन्नी पुत्री ताजु जाति नाई सा. नारायणगढ तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 8 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर. ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे वहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि चक 27 ए.एम.पी. खाता स. 106/82 खाता चन्द कौर वगैरा ज.स. 2072-75 में हरचन्द पुत्र ताजु के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है व उक्त खाता में मंगलाराम पुत्र ताजु के नाम दर्ज आराजी के प्रति स. 1 ता 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से हरचन्द व मंगलाराम पि. ताजु के नाम कलमजन किये जावे व उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रति स. 1 ता 5 के नाम दर्ज की जावे।
नोट:- यदि प्रशनगत भुमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.......... नल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत.
.......... निल.......... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा करें।
वसद्व मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 8.5.2023 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

